**भारत सरकार**
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**
**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**
**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 1805**

**बुधवार, 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**उत्तर प्रदेश में उद्यमिता को प्रोत्साहन**

**1805. श्री रामशिरोमणि वर्मा:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जिला-वार क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार की उत्तर प्रदेश में उत्पादित उत्पादों विशेषकर श्रावस्ती और बलरामपुर के उत्पादों का ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के माध्यम से विपणन करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री सोम प्रकाश)**

**(क):** उद्योग स्थापित करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का अधिकार क्षेत्र है। हालांकि, भारत सरकार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के माध्यम से उचित नीतिगत कार्यक्रमों के द्वारा देश में समग्र औद्योगिक विकास के लिए सक्षम इकोसिस्टम उपलब्ध कराती है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई रोजगार उन्मुख स्कीमें चलायी जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्कीम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार स्कीम, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) वित्तपोषण स्कीम। इसके अलावा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओडीओपी प्रशिक्षण और टूलकिट स्कीम, अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण स्कीम, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की स्कीम और उद्यमी विकास प्रशिक्षण जैसी स्कीमों के तहत प्रशिक्षण प्रदान करके उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाता है। उपर्युक्त के अलावा, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28.09.2022 को एमएसएमई नीति-2022 लागू की गई है।

**(ख) और (ग):** सरकार ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों सहित भारत के विभिन्न जिलों के उत्पादों के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से विपणन के लिए कई पहलें की हैं।

i. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), भौगोलिक संकेतक (जीआई) वस्तुओं और खिलौनों के विनिर्माण में लगे कारीगरों और हस्तशिल्पियों को शामिल करने के लिए विभिन्न बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क में है। इसके अतिरिक्त,

एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल के तहत, ग्रामीण क्षेत्र के छोटे व्यवसायों के लिए अधिक विजिबिलिटी प्रदान करने के उद्देश्य से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पहचाने गए उत्पादों के विक्रेता को शामिल करने की सुविधा प्रदान करने हेतु विभिन्न राज्यों में अभियान चलाए गए हैं।

ii. एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है, इसके तहत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से कम-से-कम एक उत्पाद की पहचान की गई है। ओडीओपी स्कीम के तहत बलरामपुर जिले की दालों और श्रावस्ती जिले के जनजातीय शिल्प तथा फर्नीचर जैसे उत्पादों को अपेक्षित सुविधा प्रदान की गई है।

iii. ओडीओपी के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर एक डेडिकेटिड स्टोरफ्रंट बनाया गया है। इस स्टोरफ्रंट का उद्देश्य, विभिन्न संबंधित मंत्रालयों, सरकारी निकायों और विदेशों में विदेशी मिशनों द्वारा उपहार/कार्यालय उपयोग के लिए ओडीओपी उत्पादों के प्रत्यक्ष क्रय को सक्षम बनाना है। वर्तमान में, इस मार्केटप्लेस पर 280 से अधिक ओडीओपी श्रेणियां उपलब्ध हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के कई उत्पाद शामिल हैं।

iv. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने ई-कॉमर्स में छोटे व्यवसायों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **अधिप्राप्ति और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम:** इस स्कीम के तहत "सूक्ष्म उद्यमों द्वारा ई-कॉमर्स को अपनाने" का उप-घटक लाया गया है। इस नए घटक में ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों द्वारा उत्पादों या सेवाओं (10 नए उत्पादों तक) की बिक्री के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।
- **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) पोर्टल:** एनएसआईसी, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पोर्टल का संचालन कर रहा है। यह एक गैर-लेन-देन वाला बी2बी पोर्टल है, जो एमएसएमई को ई-मार्केटिंग सहायता की सुविधा प्रदान करता है।
- **खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केसीआईसी) का ई-कॉमर्स पोर्टल:** केवीआईसी ने खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा सहायता प्राप्त खादी उत्पादों के विक्रय के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल https://www.kviconline.gov.in विकसित किया है।

v. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राईफेड) के माध्यम से एक ई-मार्केटप्लेस www.tribesindia.com पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल ने विभिन्न प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ समझौते किए हैं और यह

जनजातीय कारीगरों को अपने उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए अपने साथ जोड़ रहा है।

*******